उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, 19 C, विधानसभा मार्ग, लखनऊ-226001
दूरभाष: 0522-2235750, फैक्स-0522-2235800
वेब : www.uppbpb.gov.in, ई-मेल : sampark@uppbpb.gov.in

नीलामी सूचना

पुलिस भर्ती बोर्ड में आई.टी./स्टोर के निष्प्रयोज्य सामानों यथा कम्प्यूटर सी.पी.यू./ मॉनीटर / की-बोर्ड / माउस की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 10/06/2022 को 12:30 बजे की जायेगी । नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बिडर्स दिनांक 10/06/2022 को प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक रूपया 100/- नगद जमा करके प्रभारी आई.टी. विंग से टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिये पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट www.upprpb.gov.in भी देखी जा सकती है । नीलामी के सम्बन्ध में अन्य जानकारी प्रभारी आई.टी.विंग के मोबाइल नं0 9454405191 पर भी प्राप्त की जा सकती है।

31/5/22

पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय)
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
लखनऊ

नीलामी के लिए आवश्यक शर्तें / निर्देश

1) निष्प्रयोज्य सम्पत्तियाँ As and where they lies के अनुसार एक साथ नीलाम की जायेंगी।
2) नीलामी में भाग लेने हेतु Rs 1000 रुपये Earnest Money के रूप में पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में देय बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। प्रवेश शुल्क नीलामी दिवस के दिनांक ही लिया जायेगा।
3) Earnest Money के अतिरिक्त रू 100/- प्रवेश शुल्क के रूप में (Non refundable) जमा किया जायेगा।
4) केवल Earnest Money जमा करने वाले बिडर ही नीलामी में भाग लेंगे।
5) प्रत्येक बिडर को नीलामी में भाग लेने हेतु अपना PAN Card एवं स्वयं का पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा। पहचान पत्र के रूप में वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक मान्य होगा।
6) कुल विक्रय मूल्य पर TCS(Tax Collection at source)1% की दर से देय होगा।
7) प्रत्येक बोलीकर्ता अपनी बोली से बाध्य होगा, भले ही यह ऊँची हो या नहीं, तथा नीलामी की राशि की माफी पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।
8) कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लिये उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है, प्राधिकार पत्र प्राप्त न कर लिया हो।
9) संदिग्ध आशयित व्यक्तियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
10) नीलामी समिति किसी ऊँची बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी।
11) नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
12) स्वीकृत उच्चतम बोली का 25% धनराशि बोली की समाप्ति के तुरन्त बाद Security Money के रूप में नकद अथवा बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। नीलामी समिति बिना कोई कारण बताये Security Money के रूप में 25% से अधिक या बोली की सम्पूर्ण धनराशि को जमा करने की माँग कर सकती है।
13) नीलामी स्थल पर धूम्रपान, मदिरा सेवन, निजी वाहन एवं किसी प्रकार का अस्त्र / शस्त्र साथ लाना पूर्णतया वर्जित है। नीलामी में किसी प्रकार का अभद्र अथवा अशोभनीय व्यवहार कदापि बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा ऐसे करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।
14) नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी बोली Confirmation हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही बोली अन्तिम रूप से स्वीकृत मानी जायेगी।
15) जिस बोलीकर्ता की उच्चतम बोली समिति द्वारा स्वीकार की जायेगी, उसमें बोलीकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली Earnest Money- 25% Security Money में समायोजित की जा सकेगी।
16) बोलीकर्ता नीलामशुदा वस्तुओं को सम्पूर्ण भुगतान हो जाने के पश्चात तथा गेट पास / प्राधिकार पत्र प्राप्त कर ही नामित अधिकारी की उपस्थिति में उठा सकेगा। इस कार्य हेतु प्रभारी आई.टी. विंग को नामित किया जाता है।
17) नीलामी में भाग लेने वाले बिडर को फर्म के लेटर हेड पर यह अण्डरटेकिंग देनी होगी कि वे (बिडर) भारत सरकार / उ0प्र0 सरकार द्वारा ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिये निर्गत निर्देशों / आदेशों का पालन करेंगे।
18) कोई भी बिडर नीलामी दिनांक से 02 दिन पहले तक उपकरणों का अवलोकन कर सकता है।